बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

पत्रांक–प्र04 / ख.वि.अधि.–01 / 14 – 1166 खाद्य, पटना / दिनांक 06.02.15

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि0
पटना।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के संबंध में आपके स्तर से दिए गए दिशा–निर्देशों को क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयन करने में कठिनाई के संबंध में।

संदर्भ :– सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की दिनांक 04.02.15 को आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए बिंदु।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 04.02.15 को सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा, प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें आप स्वयं भी उपस्थित थे।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आपके स्तर से कतिपय निर्देश दिए गए हैं, जो या तो विभाग के स्तर से मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों से तालमेल नहीं रखते हैं अथवा उनके कार्यान्वयन में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कठिनाई हो रही है।

समीक्षा बैठक के दौरान क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित कठिनाइयों तथा दिए गए दिशा–निर्देशों के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित बिंदु उठाए गए –

1– आपके द्वारा सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि0 को निदेश दिया गया है कि पैक्सों के द्वारा अधिप्राप्ति किए गए धान को क्रय केन्द्र पर प्राप्त करते समय यह आवश्यक है कि मिल मालिकों के प्रतिनिधि स्थल पर उपस्थित रहें। आपका उक्त निदेश धान की गुणवत्ता तथा धान से सी0एम0आर0 प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी एवं उचित कदम है, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन में पदाधिकारियों को कतिपय कठिनाई है यथा, आपके द्वारा अभी तक

मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया आदि जिला के मिलों के साथ एकरारनामा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त जिलों में क्रय केन्द्र पर चावल मिलों के प्रतिनिधियों का उपस्थित रहना संभव नहीं है। अनेक मौका पर ऐसा भी पाया गया है कि एकरारनामा होने के बावजूद भी मिलों के प्रतिनिधि पैक्सों को दिए गए रोस्टर के अनुसार स्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण पैक्सों तथा किसानों को बेवजह असुविधा होती है। अतः आपके स्तर से स्पष्ट निदेश जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में रोस्टर के अनुसार मिलों के प्रतिनिधि स्थल पर उपस्थित रहें और **यदि किसी कारणवश प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो पैक्सों से उचित गुणवत्ता का धान प्राप्त किया जाए, जिसकी जिम्मेवारी स्थानीय क्रय केन्द्र प्रभारी की होगी।** पैक्सों से रोस्टर के अनुसार उचित गुणवत्ता का धान प्राप्त कर लिया जाए और किसी भी स्थिति में पैक्सों को अधिप्राप्त धान लेकर वापस नहीं लौटना पड़े।

2— पैक्सों के द्वारा धान की अधिप्राप्ति की जा रही है, परंतु कुछ जिलों यथा, सारण, समस्तीपुर, सीवान आदि में आपके द्वारा अभी भी क्रय केन्द्रों को प्रभावी नहीं बनाया जा सका है तथा सभी क्रय केन्द्रों पर धान क्रय को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण पैक्सों के द्वारा अधिप्राप्ति किए गए धान को लेने में कठिनाई हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप पैक्सों के गोदाम में अब और धान लेने के लिए जगह की उपलब्धता नहीं रह गई है तथा साथ ही पैक्सों को उपलब्ध करायी गई Credit Limit भी समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण वे धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को आगे चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। इस संबंध में आपके स्तर से सभी क्रय केन्द्र प्रभारी को निदेश जाना चाहिए कि सभी क्रय केन्द्रों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा पैक्सों के द्वारा अधिप्राप्ति किए गए धान को किसी भी परिस्थिति में निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्राप्त किया जाए।

3— पैक्सों के द्वारा अधिप्राप्ति किए गए धान को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि0 के क्रय केन्द्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है, परंतु प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पैक्सों को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि0 के द्वारा उसके एवज में राशि निर्धारित अवधि यथा, 07 दिनों में उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जिसके कारण पैक्सों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

4— बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि0 के द्वारा पैक्सों से अधिप्राप्ति किए गए धान के मिलिंग के प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण धान की ससमय मिलिंग नहीं होने की वजह से उनके खराब होने, यहाँ तक कि उनके सड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। **इसलिए इस संबंध में आपके स्तर से इस निदेश की अपेक्षा है कि सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि0 अधिप्राप्ति किए गए धान को ज्यादा—से—ज्यादा एक सप्ताह के बाद मिलिंग करवायें तथा लाभान्वितों को दिए जाने वाले खाद्यान्न में उसकी आपूर्त्ति करें।**

कृपया उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें ताकि उचित गुणवत्ता सहित ससमय धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सम्पन्न किया जा सके।

उपरोक्त में माननीय मंत्रीजी का निर्देश दिया है कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए यथोचित कार्रवाई भी की जाये।

विश्वासभाजन

(हुकुम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–प्र04 / ख.वि.अधि.–01 / 14 – 1166 खाद्य, पटना / दिनांक 06.02.15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–प्र04 / ख.वि.अधि.–01 / 14 – 1166 खाद्य, पटना / दिनांक 06.02.15

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– IT Manager, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि इस पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के सचिव।